

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 08/2022-State Tax (Rate)

Dated: 12/10 /2022

No. F.3 (20)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 820 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Government's Notification No. 3/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/373, dated the 30th June, 2017, namely, in the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry "6%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

Note: - The principal notification No. 3/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/373, dated the 30th June, 2017, and was last amended by notification No. 16/2019 – State Tax (Rate) dated the 3rd October, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (69)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/466, dated the 3rd October, 2019.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp-1)

No. F.3 (20)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/ 820

Dated: 12/10 /2022

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.

9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary (Exp-1)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या- 08/2022-राज्य कर (दर)

दिनांक: 12/10/2022

सं.फा.03(20)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/820 : दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 3/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/373, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "6%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं.फा. 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/373, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 03 अक्टूबर, 2019, जिसे सं.फा. 03(69)/वित्त(राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/466, दिनांक 03 अक्टूबर, 2019, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय -I)

सं.फा.03(20)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/820

दिनांक: 12/10/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय -I)